एक दृष्टि स्कूल के नियमों पर

- कम से कम 75% प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही, किसी भी विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा में प्रविष्ट होने की पात्रता होगी।
- किसी भी परिस्थिति में प्राचार्य की अनुमति के बिना पालक अभिभावक शालेय समय में अपने बच्चों से या शिक्षकों से नहीं मिल सकेंगे, ना ही कक्षा में जा सकेंगे।
- प्रत्येक विद्यार्थी विद्यालय द्वारा निर्धारित अनुशासन नियमों का पालन विद्यालय तथा विद्यालय परिसर के आसपास भी करेंगे।
- प्रत्येक विद्यार्थी साफ एवं व्यवस्थित गणवेश में ही विद्यालय आएगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी विद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का प्रत्येक स्थिति में पालन करेगा।
- सभी पालक अपने दूरभाष नम्बर या स्थानीय पते में होने वाले परिवर्तन की स्थिति में शाला को तत्काल सूचित करने हेतु बाध्य है।
- किसी अन्य के द्वारा भेजी गई शालेय राशि यदि गुम होती है तो विद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- विद्यालय में प्रवेश हेतु खरीदे गए फार्म एवं प्रवेश परीक्षा देना मात्र विद्यालय में प्रवेश का पूर्ण आश्वासन नहीं है।
- विद्यालय प्रवेश हेतु अपात्र माने गये किसी भी विद्यार्थी को कारण बताने हेतु संस्था बाध्य नहीं होगी।
- पालक अपने पाल्य के टिफिन में शाकाहारी भोजन ही भेजें। (चपाती, सब्जी सलाद एवं फल मात्र ही भेजें।)
- स्वास्थ्य वर्धक नियमों के अंतर्गत पालकों से निवेदन है कि वे यथा संभव अपने पाल्य के भोजन में जंकफूड जैसे मैगी, ब्रेड चिप्स आदि न भेजें।
- हम पालकों से उनके पाल्य को अनुशासित नियमित एवं समय का पाबंद विद्यार्थी बनाने में पूर्ण सहयोग की अपेक्षा रखते हैं उन्हें अपने पाल्यों की सभी शालेय गतिविधियों में सहयोग प्रदान करना है।
- अपने पाल्य की किसी भी अनुपस्थिति के लिए उन्हें लिखित सूचना देना अनिवार्य है अवकाश हेतु आवेदन पत्र न भेजें जाने पर विद्यार्थी को दूसरे दिन पालक के साथ विद्यालय आना होगा । अन्यथा बगैर पालक के उसे विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- किसी भी पालक को स्कूल के अनुशासन को भंग करने की अनुमति नहीं है ऐसा करते पाए जाने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- विद्यालय द्वारा आयोजित सभी प्रकार की गतिविधियों एवं समारोह में विद्यार्थी का सम्मलित होना अनिवार्य है।
- हम पालकों से अपेक्षा रखते हैं कि वे विद्यार्थी को दी गई पत्र व्यवहार डायरी का उचित उपयोग करें। उन्हें नियमित रूप से अपने पाल्य की डायरी पढ़ना अनिवार्य है।

- विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय समयावधि में विद्यालय परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है ।
- प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यालय आरंभ होने के समय से पांच मिनिट पूर्व आना अनिवार्य है ।
- विद्यार्थीयों का रोजाना विद्यालय में रूमाल, और टिफिन लाना अनिवार्य है।
- कीमती सामग्री जैसे मोबाईल फोन, सस्ता एवं चांदी के आभूषण आदि विद्यालय में लाना वर्जित है।
- किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त विद्यार्थी को पूर्ण स्वस्थ्य होने तक विद्यालय आना वर्जित होगा स्वस्थ्य होने का मेडीकल सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा।
- आप किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से अपने पाल्य को विद्यालय से वापस न बुलवायें। आपके पाल्य की सुरक्षा हेतु आपका सहयोग अनिवार्य है एवं आवश्यक रूप से शाला छूटने के पाँच मिनिट पूर्व पाल्य को लेने हेतु आ जावें। विलम्ब से आने पर सुरक्षा की जिम्मेदारी पालक की होगी शाला की नहीं।
- वार्षिक शुल्क एक बार जमा होने पर किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा।
- किसी भी कलेण्डर महीने में लिख्ति या पूरे महिने की फीस का भुगतान करने के पश्चात् विद्यालय की शेष बकाया राशि का भुगतान करने पर ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
- निम्न आधार पर किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

  अनुशासन हीनता

  पढ़ाई में संतोषद्र उन्नति न होना

  लगातार दो वर्ष तक अनुत्तीर्ण
- मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र गुम होने कि स्थिति में शपथपत्र एवं निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा।
- यूनिट टेस्ट कापियों में आवश्यक रूप से पालकों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात दूसरे कार्य दिवस पर विद्यालय भेजना आवश्यक होगा।
- विद्यालय के किसी भी सामान को छात्र द्वारा नुकसान पहुंचाये जाने पर दंड राशि का भुगतान करना होगा।
- प्रवेश हेतु शिक्षा सत्र के मध्य में आने पर भी विद्यार्थी को सम्पूर्ण शिक्षा सत्र का शुल्क देना होगा।
- लगातार बिना आवेदन दिए 15 दिनों तक अनुपस्थित होने की अवस्था में विद्यार्थी का नाम विद्यालय से काट दिया जावेगा।
- विशेष कार्य दिवसों एवं राष्ट्रीय पर्वों पर छात्रों की शाला में उपस्थित अनिवार्य है।
- पांच दिन देर से आने पर विद्यार्थी को शाला में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।